

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/पीएसपी-सी/अ-2/60567/के.मा.शि.बो./2022-23/07

दिनांक: 04/04/22

विद्यालय का नाम :- ADARSH CONVENT SCHOOL NECHHWA (P62957)

विद्यालय का वर्तमान पता :- SIKAR SALASAR ROAD NECHHWA LAXMANGARH SIKAR

संस्था का नाम :- ADARSH BAL SIKSHAN SANSTHAN NECHHWA SIKAR

आवेदन क्रमांक :- 40957

एनओसी कोड:- RJSKR31984

प्रमाण-पत्र

सत्र 2022-23 हेतु CBSE/CISCE/CAIE नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांक प.14(8) शिक्षा-1/2009/पार्ट-8 दिनांक : 30.03.2022 की पालना में गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र, माध्यम, कक्षा स्तर, संकाय, विषय आदि के लिए CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल वर्ष 2022-23 के लिए ही मान्य होगा
2. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम-2011 की पालना की जावेगी।
3. विद्यालय/ संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बालवाहिनी के क्रम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अक्षरक्ष: पालना की जावेगी।
5. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / नियमों की अक्षरक्ष: पालना की जावेगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आरटीई प्रवेशित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
6. विद्यालय द्वारा (डे स्कूलर/बोर्डिंग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं का संचालन मान्यता प्रदत्त स्तर तक किया जायेगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को सूचित करते हुए राजस्थान बोर्ड से संबद्धता समाप्त कर ली जायेगी।
8. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित है एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है।
9. विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाईल टावर स्थापित नहीं करेगी।
10. विद्यालय द्वारा राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना करेगी।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
12. विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए रैम्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जावेगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
15. विद्यालय द्वारा संबद्धता हेतु एनओसी का नवीनीकरण प्रत्येक 03 वर्ष उपरान्त करवाया जाना अनिवार्य होगा।
16. विद्यालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति प्राप्त कक्षा स्तर तक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

नोट :NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.)/ निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मा.शि.)/ निदेशालय जिम्मेदार होंगे।

Generated from NIC-PSP (http://rajpsp.nic.in) Web-Portal

Page 1 of 2 04/04/2022

साधिव
आदर्श बाल शिक्षण संस्थान
नेछवा (सीकर)

Principal
ADARSH CONVENT SCHOOL
NECHHWA (Sikar)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

जिला	SIKAR	ब्लॉक	NECHWA
विद्यालय का नाम	ADARSH CONVENT SCHOOL NECHHWA (P62957)		
एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र	2022-23	माध्यम	English
विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर	Upper Primary (1-8)	एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर	Upper Primary (1-8)

नोट:- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/ संकाय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु संबद्धता की एनओसी प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा बिना मान्यता कक्षा स्तर/संकाय/माध्यम/विषय के संबंध में संबद्धता प्रदान नहीं की जाये तथा संबद्धता हेतु मान्यता कक्षा स्तर/संकाय/माध्यम/विषय के लिये विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Principal
ADARSH CONVENT SCHOOL
NECHHWA (Sikar)

सचिव
आदर्श काल शिक्षण संस्थान
नेछवा (सीकर)

नोट :NICT विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.)/ निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मा.शि.)/ निदेशालय जिम्मेदार होगा।